सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024 / 94 दर्ज तिथिः— 14.02.2024

1. डुंगराराम पुत्र गिरधारीराम
2. डालुराम पुत्र गिरधारीराम
3. सिरामाराम पुत्र गिरधारीराम
   जाति जाट निवासी सुथारो की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र डुंगराराम
2. जैसाराम पुत्र डुंगराराम
3. नेनुकुमारी पुत्री डुंगराराम
4. लेहरोदेवी पुत्री डुंगराराम
5. सतीदेवी पत्नी डुंगराराम
6. जेठा पुत्र गुमना
7. पोला पुत्र गुमना
   जाति जाट निवासी सुथारों की बेरी तहसील नोखड़ा
8. रायचन्द पुत्र खंगारा
9. ईशरा पुत्र डुंगरा
10. कोशलाराम पुत्र खंगारा
11. जेठीदेवी पत्नी पेमाराम
12. बन्नाराम पुत्र पेमाराम
13. मंगनाराम पुत्र पेमाराम
    जाति जाट निवासी हीरानगर तहसील नोखड़ा
14. दमाराम पुत्र सोनाराम
15. लाधाराम पुत्र सोनाराम
16. सोनाराम पुत्र गिरधारीराम
17. दुर्गाराम पुत्र गिरधारीराम फौत के वारिसान
    17 / 1 खेताराम पुत्र दुर्गाराम
    17 / 2 रूखमो पत्नी दुर्गाराम
    जातियान जाट निवासी आदर्श छोटू तहसील नोखड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.26 14:49:21 IST
Reason: SelfAttested

18. अधिशाषी अभियन्ता सानिवि खण्ड गुडामालानी
19. तहसीलदार नौखडा।

..........अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री सुखराम विश्नोई
श्री हरीश चौधरी
अप्रार्थीगणः—श्री रामजीवन विश्नोई

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128
राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः— 04.10.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 322 / 6.5205 है. वाके ग्राम सुथारों की बेरी तहसील नोखड़ा में स्थित है। उक्त वर्णित आराजी प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी है एवं आराजी पर प्रार्थीगण काबिज रहकर बिना किसी बाधा वो रूकावट के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त खातेदारी आराजी से अप्रार्थीगण का कोई हक संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी के कार्यकाश्त में बाधा डालते हैं। उक्त आराजी का मौके पर सीमांकन नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा सीमांकन कराए जाने बाबत तहसीलदार गुड़ामालानी के यहां प्रार्थना—पत्र पेश किया जिस पर तहसीलदार नोखड़ा के आदेशांक दिनांक 29.09.2023 की पालना में मौका रिपोर्ट संलग्न है। अंत में प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी उक्त की पत्थरगढ़ी मुताबिक पैमाइश के अनुसार कराए जाने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण संख्या 01—02 के अधिवक्ता हाजिर न्यायालय हुए एवं सीधे बहस करने का निवेदन किया।

3. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है। दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 322 के समीप में खसरा संख्या 321 गै.मु. सड़क राजस्व नक्शे में दर्ज रिकॉर्ड है। परंतु उक्त गै.मु. सड़क प्रार्थीगण के खसरा संख्या 322 में से होकर मौके पर सेटलमेंट से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.26 14:49:21 IST
Reason: SelfAttested

चालू है। प्रार्थीगण नेखमबंदी के माध्यम से उक्त सड़क को बंद करना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries****.—(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ में पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम सुथारों की बेरी में राजस्व इन्द्राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके ग्राम सुथारों की बेरी के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट मौका रिपोर्ट दिनांक 06.10.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य गै. मु. सड़क व निजी खातेदारी की सीमा निर्धारण को लेकर सीमा विवाद है। इस प्रकार प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.26 14:49:21 IST
Reason: SelfAttested

की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना—पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा—128 भू—राजस्व अधिनियम—1956 के बाबत् पत्थरगढ़ी किये जाने का स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 322 / 6.5205 है. वाके ग्राम सुथारों की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर प्रार्थीगण एवं संबंधित पक्षकारों / हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर बिना मौके की स्थिति परिवर्तित किये पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार नोखड़ा को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी (बाड़मेर)

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.26 14:49:21 IST
Reason: SelfAttested